

भारत में राजनीतिक विकास

भारत राष्ट्र केवल एक जमीन का भू-भाग, जंगल, पर्वत और नदियों से युक्त जड़ पदार्थ मात्र नहीं है। यह महान और प्राचीन राष्ट्र मानवीय आलोक का स्रोत, मानव सभ्यता का शिखर, साहस और मानवीयता का एक उदाहरण और सुशासन एवं व्यवस्थित समाज का एक आदर्श रहा है। हमारा जन्म और पालन—पोषण ऐसे देश में हुआ है, जहाँ मानव जाति के प्रारम्भ से ज्ञान का संचय और संवर्द्धन होता रहा है। सत्य, न्याय, परोपकार और विश्व कल्याण प्रारम्भ से ही भारत राष्ट्र के आधार रहे हैं। यह प्राचीन राष्ट्र न केवल सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से उन्नत था, अपितु राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यापक रूप से विकसित था। प्राचीन वैदिक साहित्य से और महाजनपदकालीन व्यवस्थाओं में अनेक गणतांत्रिक तत्व दिखाई देते रहे हैं। मनु की मनुस्मृति, शुक्र की शुक्रनीतिसार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था और शासनकला के सिद्धान्त समाहित रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राटों की अवधारणा व अश्वमेध यज्ञ आदि धारणाएँ यथार्थ में राजनीतिक एकीकरण एवं विशाल साम्राज्यों को स्थापित करने के सैद्धान्तिक साधन रहे हैं। इस तरह भारत प्राचीनकाल से ही न केवल चिन्तन में अपितु राजनीतिक यथार्थ में भी एक संगठित राष्ट्रीय इकाई रहा है। हमारे तपस्वी मनीषियों के चिन्तन में सदैव ही यह भारत एक राष्ट्र रहा है, जिसे वे 'हिमालय के दक्षिण व समुद्र के उत्तर में स्थित देश' कथन के माध्यम से व्यक्त करते आये हैं। यातायात और संचार के व्यापक साधनों के नहीं होते हुए भी उत्तर से दक्षिण तक एक व्यापक सम्पर्क सदैव से रहा है। इस तरह भारत राष्ट्र एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है, भारतीयता की अवधारणा भारतीय इतिहास की एक सच्चाई है। इसलिए यह कहना कि "कारवां जुड़ता गया, भारत बनता गया" सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा होती है, उसमें एक भावनात्मक एकता होती है, वह राष्ट्र केवल विशाल जनसंख्या का समूह मात्र नहीं होता अपितु उनमें सामूहिक चेतना की भावना रहती है। यह भावात्मकता और आध्यात्मिकता कारवां के जुड़ने से नहीं आ सकती थी।

यद्यपि यह अवश्य है कि इतिहास के कालखण्ड में भारत पर विभिन्न वंशों व विभिन्न शासकों का शासन रहा है, उनमें परस्पर संघर्ष की स्थिति भी रही है लेकिन एक राष्ट्रीय चेतना की भावना सदैव से यहाँ विद्यमान रही है। मध्यकालीन आक्रान्ताओं के खिलाफ प्रतिरोध के संघर्षों ने राष्ट्रीयता के विकास में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रारम्भ राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारत को एक समान राजनीतिक पहचान और निष्ठा प्रदान की। भाषा, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, पहनावा, खान—पान की विविधताओं के भीतर एक भारतीयता की अन्तर्निहित एकता ज्यादा गहराई से कार्य कर रही थी। इस तरह प्राचीन भारत से वर्तमान तक दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ राजनीतिक विकास एवं एकीकरण एक सतत् अविरल प्रक्रिया का परिणाम है। यह कोई अंग्रेजों की दासता का प्रतिफल नहीं है। इसलिए आधुनिक भारत अपने नवीन स्वरूप के लिए अपने चिर सम्मत इतिहास का ऋणी है, औपनिवेशिक शासन का नहीं।

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत एक ऐसी भू-राजनीतिक समस्या से त्रस्त था, जिसे इतिहास में शायद ही और किसी देश ने झेला हो। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत मुख्यतः दो भागों में विभक्त हो गया था, एक ब्रिटिश भारत, जहाँ अंग्रेजों का प्रत्यक्ष आधिपत्य था, जिन्हें 'ब्रिटिश भारत' कहा जाता था। इस ब्रिटिश भारत को अंग्रेजों ने प्रान्तों में बांट दिया था, जिनके शासन की जिम्मेदारी गवर्नर तथा उसके अन्य अधिनस्थों की थी। वहीं दूसरी तरफ, भारत का वह भाग था जिसे 'देशी रियासते' कहते थे। इन रियासतों पर कहने को राजाओं का शासन था लेकिन वास्तव में इन राजाओं ने विभिन्न संधियों के माध्यम से ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। 1947 ई. में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब पाँच सौ से अधिक ऐसे छोटे—बड़े राज्य, रजवाड़े, टिकाने आदि

‘देशी रियासतें’ थीं। देश के कुल भू-भाग का चालीस प्रतिशत भाग इन देशी रियासतों के अधीन था, जहाँ देश की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा निवास करता था। इन रियासतों का आकार, स्थिति, राजनीतिक हैसियत और आकांक्षाएँ अलग-अलग थीं। एक तरफ कश्मीर व हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें थीं जो यूरोप के किसी देश के बराबर थीं। वहीं दूसरी ओर ऐसी छोटी जागीरें भी थी, जिनमें दर्जन भर गाँव ही थे। कुछ रियासतें ऐसी थीं, जिन्होंने 11वीं से 16वीं सदी तक आक्रांताओं का बड़े साहस से सामना किया था, जबकि कुछ ऐसी रियासतें भी थी, जो स्वयं इन्हीं आक्रांताओं से संबंधित थीं। व्यापारियों की एक कम्पनी से शुरुआत करके पूरे देश पर वर्चस्व जमाने वाली ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए कई रियासतों ने सहायक की भूमिका निभाई थी, तो दूसरी कई इस नवीन साम्राज्य की स्थापना को रोकने के प्रयास में अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर चुकी थीं।

इन देशी रियासतों के साथ जिन सहायक संधियों के आधार पर औपनिवेशिक शासन का संबंध था, उसकी देखभाल करने के लिए एक ‘राजनीतिक विभाग’ था, जो वाइसराय की कार्यकारिणी के अन्तर्गत होता था। वर्ष 1946 में जब भारत की अन्तरिम सरकार का गठन हुआ तब राजनीतिक विभाग का प्रशासन गृह मंत्रालय को सौंपा गया। गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। अतः देशी रियासतों के मामले सरदार पटेल के अधीन ही आए। वाइसराय माउण्टबेटन ऐसी रियासतों के प्रकरण को स्वतंत्रता से पहले ही सुलझा लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 15 अगस्त, 1947 से पूर्व ही 27 जून, 1947 को एक रियासती विभाग का गठन कर यह विभाग अन्तरिम सरकार के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। उधर ‘भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947’ में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देशी रियासतों पर से भी ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा और इन देशी रियासतों के शासक भारत या नवगठित पाकिस्तान किसी में भी अधिमिलन के लिए स्वतंत्र होंगे। इस तरह इन देशी रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकीकरण को पूरा करने का कार्य अत्यधिक दुष्कर व चुनौती भरा था, जिसे सरदार पटेल ने पूरा किया। सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन को अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया और दोनों ने मिलकर 15 अगस्त, 1947 से पूर्व ही अधिकांश रियासतों का भारत में विलय करवाने के लिए एक ‘विलय पत्र’ तैयार

करवाया और राजाओं से उस पर हस्ताक्षर करवाकर उनका भारत में विलय किया। केवल कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ रियासतों का विलय शेष था।

कश्मीर का भारत में विलय

कश्मीर औपनिवेशिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। न केवल इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा था अपितु इसकी भौगोलिक स्थिति भी सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इसकी सीमाएँ अफगानिस्तान, चीन और तिब्बत से मिलती थीं। कश्मीर रियासत के मुख्यतः चार भाग थे – जम्मू क्षेत्र, जो पंजाब से लगा हुआ है जो अपेक्षाकृत अधिक मैदानी है। कश्मीर घाटी, लद्दाख की ऊँची चोटियाँ और लद्दाख के पश्चिम में बहुत कम आबादी का इलाका गिलगित और बालिस्तान। ये दूरदराज के इलाकों को एक छतरी के नीचे लाने का कार्य जम्मू के डोगरा राजपूत घराने ने किया, जिसने 1830 के दशक में लद्दाख जीत लिया और 1840 के दशक में अंग्रेजों से कश्मीर घाटी हासिल कर ली थी। आजादी के समय यह रियासत भारत-पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। कश्मीर पर 1925 ई. से महाराजा हरीसिंह का शासन था। 1932 में जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम कान्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसने महाराजा के खिलाफ असंतोष पैदा करने का कार्य किया। बाद में इसका नाम नेशनल कान्फ्रेंस कर दिया गया और शेख अब्दुल्ला इसके बड़े नेता बने। 15 अगस्त, 1947 तक महाराजा हरीसिंह ने अपनी रियासत के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था। उधर पाकिस्तान येन-केन-प्रकारेण कश्मीर का अपने में विलय चाहता था। उसने महाराजा को अनेक लोभ व प्रलोभन देने के प्रयास किए लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद पाकिस्तान ने सितम्बर, 1947 से ही घुसपैठियों के वेश में अपनी सेना की कश्मीर में घुसपैठ प्रारम्भ करवा दी। अक्टूबर के अन्त में पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के करीब तक पहुँच गई थी। 26 अक्टूबर, 1947 को कश्मीर की स्थिति को लेकर नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचन्द महाजन व नेशनल कान्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला उपस्थित थे। महाजन और शेख दोनों ने भारत सरकार से अपील की कि कश्मीर में सेना भेजकर पाकिस्तानी

हमलावरों को खदेड़ा जाए। 26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरीसिंह ने भारतवर्ष में जम्मू-कश्मीर का विलय उसी विलय पत्र के आधार पर कर दिया जिस विलय पत्र से दूसरी रियासतों का विलय हुआ। महाराजा ने कहा, "मैं एतद्द्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूँ।" भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अनुसार शासक द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त आपत्ति करने का अधिकार स्वयं हस्ताक्षरकर्ता सहित किसी को नहीं था। इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ तथा वर्ष 1950 में भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग 'ख' राज्य में जम्मू-कश्मीर को शामिल किया गया।

सन् 1951 में जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा के चुनाव हुए। 75 सदस्यीय संविधान सभा ने भी 6 फरवरी, 1954 को जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार, "जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा तथा इस धारा में कभी कोई संशोधन नहीं हो सकेगा।" इस प्रकार तत्कालीन महाराजा ने विलय पत्र तथा जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की घोषणा से जम्मू-कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ व यह भारत का अभिन्न अंग बना। भारत सरकार ने अपने राज्य जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तानी कबाइली हमले से बचाने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी। नवम्बर के अन्त तक भारतीय सेना ने अपना काफी बड़ा भू-भाग पाकिस्तान से वापिस प्राप्त कर लिया था। यद्यपि जम्मू-कश्मीर के कुल भू-भाग का एक-तिहाई हिस्सा अब भी पाकिस्तान के अधीन ही था। तब वर्ष 1948 में भारत ने लार्ड माउण्टबेटन के आग्रह पर कश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना तय किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन कर दोनों में युद्ध विराम करवा दिया। परिणामस्वरूप आज भी जम्मू-कश्मीर का एक-तिहाई भाग पाकिस्तान के पास ही है, जिसे हम 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' कहते हैं।

हैदराबाद का एकीकरण

हैदराबाद कश्मीर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी, जो दक्कन के पठार में स्थित थी तथा चारों ओर से भारतीय भू-भाग से घिरी हुई थी। यहाँ पर स्वतंत्रता के समय निजाम मीर उस्मान अली का शासन था। हैदराबाद की आबादी में 85

प्रतिशत से अधिक हिन्दू थे लेकिन सेना, पुलिस और प्रशासन में मुसलमानों का दबदबा था। निजाम इस मुस्लिम प्रशासनिक शक्ति एवं जिन्ना की सहायता के आश्वासन के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देख रहा था। जब माउण्ट बेटन ने हैदराबाद को संविधान सभा में शामिल होने की सलाह दी तब उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डाला गया तो वे पाकिस्तान में शामिल होने पर गम्भीरता से विचार करेंगे। यहाँ तक कि निजाम ने हैदराबाद के मामले को भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने का प्रयास भी किया। इसी बीच हैदराबाद में 'रजाकार' नामक उग्रवादी मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन तैयार हुआ, जिसने बड़े पैमाने पर अत्याचार प्रारम्भ किये। इस तरह रजाकारों ने हैदराबाद के विलय के सवाल को साम्प्रदायिक समस्या के रूप में रूपान्तरित कर दिया।

दूसरी ओर, ऐसी खबरें भी आने लगी कि निजाम ब्रिटिश एजेण्टों के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार प्राप्त कर रहा है। हैदराबाद से बड़ी संख्या में जनता के पलायन से पड़ोसी राज्य मद्रास (तमिलनाडु) पर भार बढ़ गया। इन सब बातों के कारण सरदार पटेल ने इन्तजार करने की बजाय निर्णायक कार्यवाही करने का फैसला किया। सरदार पटेल ने निजाम के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करना तय किया और इसकी अनुमति हेतु मंत्रीमण्डल की बैठक बुलाने का प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू से आग्रह किया। बैठक में सरदार पटेल ने हैदराबाद पर आक्रमण की योजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने इस पर शंका व्यक्त की। पटेल ने इस कार्यवाही को आवश्यक बताते हुए कहा कि, "यदि अपने पेट का यह फोड़ा निकालकर हम फैंक नहीं देंगे तो स्वयं अपनी कन्न खोदने का काम करेंगे।" 13 सितम्बर, 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर तीन ओर से हमला किया। इस हमले को 'ऑपरेशन पोलो' नाम दिया गया। निजाम के सैनिक एक-दो दिन में ही मोर्चा छोड़कर भागने लगे। रजाकारों ने भी चार दिन में ही समर्पण कर दिया। इस लड़ाई में भारतीय सेना के बयालीस जबकि दो हजार रजाकार मार गये। 17 सितम्बर, 1948 को निजाम ने हैदराबाद रियासत के भारत में विलय को स्वीकार किया। सरदार पटेल ने हैदराबाद जाकर निजाम से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। पटेल ने कहा, "निजाम समाप्त हो गया है, भारत के सीने का केन्सर (फोड़ा) हमने मिटा दिया है।" इस प्रकार सरदार पटेल

की दृढ़ता, दूरदर्शिता और साहस के परिणामस्वरूप हैदराबाद का भारत में एकीकरण सम्भव हुआ।

जूनागढ़ का भारत में विलय

जिन रियासतों का 15 अगस्त, 1947 तक भारत में विलय नहीं हो सका था, उनमें जूनागढ़ भी शामिल था, जो आजकल के गुजरात राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब मोहबत खान था, जबकि अधिकांश जनता गैर मुस्लिम थी। पवित्र सोमनाथ मंदिर और जैन तीर्थ गिरनार जूनागढ़ रियासत में ही आते थे। वे बेरावल इस रियासत का प्रमुख बन्दरगाह था। 1947 में ही शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ का दीवान बन गया जो मुस्लिम लीग के नेता व पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदार था। अपने दीवान के कहने पर नवाब ने अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने 13 सितम्बर, 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया। वास्तव में पाकिस्तान जूनागढ़ का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर पर सौदेबाजी में करना चाहता था। पाकिस्तान द्वारा जूनागढ़ के विलय को स्वीकार करने की घटना ने सरदार पटेल को काफी आक्रोशित कर दिया। सरदार ने जूनागढ़ के दो अधीनस्थ राज्यों मांगरोल व बाबरियावाद का भारत में विलय करने के लिए सैनिक टुकड़ी भेज दी। दूसरी ओर, जूनागढ़ में नवाब के खिलाफ बड़ा लोकप्रिय आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इन सबसे घबराकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। कुछ समय बाद दीवान शाहनवाज जूनागढ़ का प्रशासन भारत को सौंपने के लिए मजबूर हो गया। भारत सरकार ने अपनी वैधानिक स्थिति मजबूत करने के लिए फरवरी, 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसके परिणामस्वरूप उसका भारत में विलय हो गया।

इस तरह जम्मू-कश्मीर व हैदराबाद के बाद जूनागढ़ तीसरी ऐसी रियासत थी, जो सरदार पटेल के अदम्य साहस के परिणामस्वरूप भारत में शामिल हुई। इसलिए पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता अथवा लौह पुरुष कहा जाता है।

गोवा व पाण्डिचेरी का भारत में विलय

साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध स्वतंत्र भारत

की प्रमुख नीति थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि भारत अपनी उस जमीन पर फिर से दावा करता जो विदेशियों के कब्जे में थी। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था जबकि पाण्डिचेरी (वर्तमान पुदुचेरी) पर फ्रान्स का आधिपत्य बरकरार था। भारत की स्वतंत्रता के तुरन्त बाद इन क्षेत्रों के लोगों ने अपनी आजादी व भारत में विलय की मांग प्रारम्भ की और इसके लिए आन्दोलन प्रारम्भ किये। 1954 ई. में पाण्डिचेरी में माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। भारत में विलय के लिए व्यापक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। मद्रास (वर्तमान चैन्नई) में फ्रान्सीसी दूतावास के सामने हर रोज प्रदर्शन होने लगे। नवम्बर, 1954 में फ्रान्स ने पाण्डिचेरी को भारत को सौंप दिया, जिसका लोगों ने व्यापक स्वागत किया। 1955 ई. के गणतंत्र दिवस में पहली बार राजपथ पर पाण्डिचेरी की झांकी निकाली गई। इस तरह पाण्डिचेरी का शान्तिपूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया। लेकिन पुर्तगाली गोवा विलय की माँग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे गोवा को तब तक अपने पास रखना चाहते थे, जब तक ऐसा सम्भव हो। गोवा के पुर्तगाली तानाशाह ओलीविरा सलाजार ने गोवा को 'पूरब की पुरातन धरती पर पश्चिम का प्रकाश व पुर्तगाली अन्वेषण का एक प्रतीक' बताते हुए खाली करने से मना कर दिया। गोवा के अलावा दमण, दादर एवं नागर हवेली भी पुर्तगाल के अधीन थी। वर्ष 1954-1955 में जन-आन्दोलन के परिणामस्वरूप दमण, दादर एवं नागर हवेली पर नियंत्रण हो गया। गोवा में बड़े पैमाने पर आन्दोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। एक दशक तक भारत पुर्तगाल से अनुनय करता रहा। आखिर, 1961 में भारतीय सेना को 'गोवा मुक्ति' हेतु भेजा गया। 'ऑपरेशन विजय' के नाम से दो दिन के अन्दर ही सेना का गोवा पर कब्जा हो गया। स्थानीय जनता ने सेना को पूरा साथ दिया। फलतः गोवा के पुर्तगाली गवर्नर ने बिना शर्त समर्पण कर दिया। इस तरह, 1961 ई. के अन्त में गोवा का भारत में विलय हुआ। उल्लेखनीय है कि नेहरू सरकार पर काफी समय से जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी आदि ने 'गोवा मुक्ति' का दबाव बना रखा था। अतः सरकार के लिए यह कार्यवाही आवश्यक थी।

राजस्थान का एकीकरण

ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का विशेष महत्व रहा

है। यहाँ के विभिन्न यशस्वी शासकों ने मध्यकाल में आक्रान्ताओं के विरुद्ध न केवल राजनीतिक प्रतिरोध को जिन्दा रखा अपितु गौरवशाली सांस्कृतिक परम्परा को भी अक्षुण्ण रखने का कार्य किया। स्वतंत्रता के समय अजमेर-मेरवाड़ा को छोड़कर पूरा राजस्थान रियासतों में बँटा हुआ था। उस समय राज्य में 19 रियासतें, 3 ठिकानें व एक केन्द्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि प्रमुख रियासतों की सीमाएँ नवस्थापित पाकिस्तान से लगती थी और पाकिस्तान द्वारा इन राजाओं को अनेक प्रलोभन भी दिए जा रहे थे कि वे अपना विलय पाकिस्तान में करें। इसलिए इन रियासतों का विलय अत्यन्त संवेदनशील मामला था, जिसे 'लौहपुरुष' पटेल ने कुशलतापूर्वक पूरा किया।

राजस्थान के एकीकरण एवं इसके वर्तमान स्वरूप में आने का कार्य लगभग 8 वर्ष 7 माह में 7 चरणों में पूरा हुआ।

1. **मत्स्य संघ** – राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व नीमराणा का क्षेत्र भौगोलिक समानता लिए था। अतः इनको मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया, जो महाभारत काल में उस क्षेत्र का नाम था। 18 मार्च, 1948 को इस संघ का केन्द्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल ने उद्घाटन किया। धौलपुर शासक को राजप्रमुख तथा शोभाराम को इसका प्रधानमंत्री बनाया। अलवर को राजधानी बनाया गया।
2. **पूर्वी राजस्थान** – इस दूसरे चरण में 9 रियासतों यथा- बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बून्दी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर पूर्वी राजस्थान का गठन किया, जिसका उद्घाटन 25 मार्च, 1948 को गाडगिल ने किया। कोटा के शासक को राजप्रमुख व गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कोटा को राजधानी बनाया गया।
3. **संयुक्त राजस्थान** – मेवाड़ महाराणा पूर्वी राजस्थान के गठन से पूर्व ही विलय के लिए तैयार थे। 11 अप्रैल, 1948 को मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। पूर्वी राजस्थान में मेवाड़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ,

जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल, 1948 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह को राजप्रमुख व माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया।

4. **बृहत्त राजस्थान** – मेवाड़ के विलय के बाद शेष राज्यों का विलय आसान हो गया था। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतों का विलय कर बृहत्त राजस्थान का निर्माण हुआ। 30 मार्च, 1949 को सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया। मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह को महाराजप्रमुख व हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। जयपुर को राजधानी घोषित किया। एकीकरण का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होने के कारण ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
5. **संयुक्त बृहत्त राजस्थान** – इस सारी प्रक्रिया के बीच मत्स्य संघ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था लेकिन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसके बारे में फ़ैसला करना आवश्यक था। इसलिए 15 मई, 1948 को मत्स्य संघ का बृहत्त राजस्थान में विलय कर संयुक्त बृहत्त राजस्थान का गठन किया गया व शोभाराम शास्त्री को मंत्रीमण्डल में शामिल किया गया।
6. **राजस्थान संघ** – विलय के इतने चरणों के पश्चात् सिरोही के प्रश्न का समाधान करना शेष था कि उसका विलय राजस्थान में किया जाये अथवा तत्कालीन बम्बई प्रान्त में शामिल किया जाये। 26 जनवरी, 1950 को सिरोही की दो तहसीलें – आबू व देलवाड़ा को बम्बई राज्य में और शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही की जनता दोनों तहसीलों का भी राजस्थान में विलय चाहती थी। अतः इस प्रकरण को राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया।
7. **वर्तमान राजस्थान का निर्माण** – ब्रिटिश काल में अजमेर-मेरवाड़ा एक केन्द्र शासित प्रदेश था। अतः 1956 तक यह 'ग' श्रेणी का स्वतंत्र राज्य बना रहा।

अन्ततः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर इस क्षेत्र का भी राजस्थान में विलय किया गया। साथ ही आयोग की सिफारिश पर आबू व देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया गया। मध्य प्रदेश से लगी सीमा का भी पुनर्निर्धारण किया गया। मध्य प्रदेश के सुनेलटप्पा को राजस्थान में तथा राजस्थान के सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिलाया गया।

परिणामस्वरूप 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया व राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहालसिंह को शपथ दिलाई गई।

राज्यों का पुनर्गठन

स्वतंत्रता के तुरन्त बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग एक प्रमुख आन्दोलन बनकर उभरी। विशेषकर भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग तेजी से होने लगी। वास्तव में, स्वतंत्रता से बहुत पहले सन् 1917 में ही कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार किया था कि आजादी मिलने के बाद वह भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करेगी लेकिन आजादी के बाद पण्डित नेहरू आदि भाषायी आधार पर राज्य निर्माण को तैयार नहीं थे। परिणामस्वरूप कन्नड़ भाषियों के लिए कर्नाटक, मराठी भाषी लोगों के लिए संयुक्त महाराष्ट्र, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब राज्य आदि की माँगें उठने लगी लेकिन इन सबसे ज्यादा आक्रामक आन्दोलन आन्ध्र इलाके में तेलुगु भाषी लोगों ने प्रारम्भ किया। यह अपने को मद्रास से अलग कर आन्ध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। इस माँग को लेकर श्रीरामोलू नाम के व्यक्ति ने अक्टूबर, 1952 में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीरामोलू की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सुनकर पूरा आन्ध्र का इलाका अराजकता में डूब गया। उसकी मृत्यु के दो दिन बाद सरकार ने घोषणा की कि वह आन्ध्र प्रदेश के निर्माण करने के लिए तैयार है। अक्टूबर, 1953 में आन्ध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी गई। इस तरह भाषा के आधार पर गठित होने वाला आन्ध्र प्रदेश पहला राज्य बना।

इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य निर्माण की माँग बलवती होती गई। अतः भारत सरकार ने 1953 ई. में राज्य

पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जस्टिस फजल अली को आयोग का अध्यक्ष तथा के.एम. पण्णिकर व एच.एन. कुंजरू को इसका सदस्य बनाया गया। सन् 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसके आधार पर भारत की संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया गया। चौदह राज्यों व छः केन्द्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई लेकिन राज्यों के निर्माण की मांग को लेकर देश के विभिन्न भागों में आन्दोलन जारी रहे। इसमें सबसे बड़ा आन्दोलन महाराष्ट्र में प्रारम्भ हुआ, जिसके आधार पर 1960 में सरकार ने बम्बई राज्य को बांटकर महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों का निर्माण किया। उसके बाद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन का सवाल पैदा हुआ। इस क्षेत्र में मुख्यतः जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, जहाँ ईसाई मिशनरीज सक्रिय हो गए। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अनेक अलगाववादी गतिविधियाँ प्रारम्भ होने लगी, जिसमें नागा जनजाति का आन्दोलन महत्वपूर्ण है, जो फीजो के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। अन्ततः 1963 में नागाओं के लिए नागालैण्ड राज्य अस्तित्व में आया। इस तरह की समस्या पूर्वोत्तर के मीजो स्वायत्त क्षेत्र में प्रारम्भ हुई, जहाँ लाल डेंगा के नेतृत्व में मीजो नेशनल फ्रण्ट का गठन कर अलगाववादी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। एक समझौते के द्वारा इस समस्या का अन्त भी किया गया और 1987 में मिजोरम नामक नए राज्य का गठन किया गया। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश व गोवा को भी केन्द्र शासित राज्यों से पूर्ण राज्य बनाया गया। इससे पूर्व 1972 में मेघालय को अलग राज्य बनाया गया तथा मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

पंजाबी भाषी लोगों के लिए अलग पंजाब की मांग मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में लम्बे समय से जारी थी। अन्ततः 1966 में पंजाब का पुनर्गठन कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया व चण्डीगढ़ को केन्द्र शासित प्रान्त बनाकर पंजाब व हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया। पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जिसे 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम में 1975 तक राजाशाही चोग्याल का शासन था। जनमत द्वारा सिक्किम ने भारत में विलय की इच्छा प्रकट की, जिसके परिणामस्वरूप 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया। सन् 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखण्ड

तथा बिहार से अलग कर झारखण्ड राज्य की स्थापना की गई। झारखण्ड के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही निरन्तर आन्दोलन चल रहा था। आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग तेलंगाना राज्य की मांग भी लम्बे समय से जारी थी, जिसने बाद में उग्र एवं हिंसक रूप प्राप्त कर लिया। अन्ततः 2014 में आन्ध्र प्रदेश से अलग नये तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। इस तरह वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रान्त हैं, लेकिन देश के विभिन्न भागों से नये राज्यों की मांग आज भी अनवरत रूप से जारी है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक इकाई के रूप में रहा है, जहां कई चक्रवर्ती सम्राटों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी।
2. प्राचीन भारत में मनु ने मनुस्मृति, शुक्र ने शुक्रनीतिसार एवं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रन्थों की रचना की, जिसमें संगठित समाज के संचालन के आदर्शों का वर्णन है।
3. ब्रिटिश शासन में भारत मुख्यतः दो भागों में बंटा हुआ था। ब्रिटिश भारत व देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत सीधे अंग्रेजों के अधीन था, जबकि देशी रियासतों पर राजाओं का नाममात्र का शासन था।
4. स्वतंत्रता के उपरान्त राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल के प्रयासों से जम्मू-कश्मीर महाराजा हरीसिंह अपनी रियासत का भारत में विलय करने को तैयार हुआ।
5. हैदराबाद रियासत का भारत में सैनिक कार्यवाही द्वारा विलय किया गया, जबकि जूनागढ़ में नवाब के पाकिस्तान भाग जाने के बाद जनमत संग्रह करवाकर जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया।
6. पाण्डिचेरी को 1954 में फ्रान्सीसी आधिपत्य से भारत में शामिल किया गया, जबकि पुर्गाल से गोवा को मुक्त करवाने के लिए 1961 में सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी।
7. स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतों, 3 ठिकानों व 1 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। सात चरणों में 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(अ) मनु (ब) शुक्र
(स) कौटिल्य (द) बृहस्पति

2. स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं?
(अ) 562 (ब) 300 (स) 365 (द) 430
3. स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं?
(अ) 29 (ब) 19 (स) 11 (द) 15
4. राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही?
(अ) पण्डित जवाहरलाल नेहरू (ब) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(स) डॉ. अम्बेडकर (द) सरदार पटेल
5. गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ?
(अ) 1955 (ब) 1960 (स) 1961 (द) 1965

अतिलघूरात्मक प्रश्न

1. मनु स्मृति के लेखक कौन थे?
2. स्वतंत्रता के समय कश्मीर के राजा कौन थे?
3. हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ?
4. राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
5. भाषायी आधार पर पहला राज्य कौनसा बना था?
6. पाण्डिचेरी पर किसका आधिपत्य था?

लघूरात्मक प्रश्न

1. जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय का वर्णन कीजिए।
2. राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान पर टिप्पणी कीजिए।
3. स्वतंत्रता उपरान्त गठित भारत के पाँच राज्यों के नाम बताइए।
4. राज्य पुनर्गठन आयोग पर टिप्पणी कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
2. 'ऑपरेशन पोलो' का वर्णन कीजिए।
3. जम्मू-कश्मीर के भारत विलय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए।
4. गोवा का भारत में विलय किन स्थितियों में हुआ, समझाइए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (1) स, (2) अ, (3) ब, (4) द, (5) स